

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

बल्लभ भवन, भापाल - 462004

क्रमांक एफ 73-75/2009/20-3
प्रति,

भापाल दिनांक 30-9-09

संचित
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
पीठ बिहार, नई दिल्ली।

विषय— अशासकीय शिक्षण संस्था कॉलेज एज्युकेशन एकेडमी, शाजापुर को सीबीएसई / आईसीएसई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन द्वारा विधायकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सीबीएसई / आईसीएसई से सम्बन्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर देया जाता है—

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बन्धता मिलने के उपरान्त भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण सचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबन्ध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबन्ध कार्यवाही समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किये गये अभिन शर्तों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संस्था में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

B. Padwar

(सीबीएसई)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

B. Padwar

Principal

Principal

Kautilya Education Academy
A.B. Road, Shajapur (M.P.)

B. Padwar

Secretary

Kautilya Social & Welfare Society
A.B. Road, Barwal, Shajapur (M.P.)